



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55534

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 74/2026

योगेंद्र सिंह उर्फ जोगी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: औशिम लूथरा, मयंक चंद्र

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: राजेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने आज प्रति शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
- यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, प्रयागराज द्वारा दिनांक 27.11.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 407/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 238-ए बीएनएस और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(V) पुलिस स्टेशन मेजा, जिला प्रयागराज से उत्पन्न है।
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है और सह-अभियुक्त अवधेश कुमार, जिसे मुख्य भूमिका सौंपी गई है, के इकबालिया बयान में अपीलकर्ता का नाम सामने आया है। उनका कहना है कि आवेदक को पकड़ने का काम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सौंपा गया है। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचनादाता ने अपने बयान में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया है। आगे यह भी बताया गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर केवल एक ही चोट का निशान था, वह भी चाकू से वार का घाव। यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता 12.08.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व भी मौजूद नहीं हैं। आगे यह भी बताया गया है कि 26 अभियोजन गवाह हैं और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आरोपित अपीलकर्ता योगेंद्र सिंह उर्फ जोगी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह अदालत में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर अपीलकर्ता स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अवर न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"